

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति०जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
(श्री राकेश कुमार, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या :- 15/2017 (गुण्डा एक्ट)
दायर दिनांक :- 17-07-2017
निर्णय दिनांक :- 24-09-2018

अनवान

जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द

-----प्रार्थी

बनाम

श्री बलवन्त पिता मांगीलाल यादव निवासी- निचली यादव मौहल्ला राजनगर
थाना राजनगर जिला राजसमन्द

-----अप्रार्थी, गे०सा०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :-

- 1- श्री कपिल व्यास अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट
- 2- सहायक लोक अभियोजक

--:संशोधित निर्णय :-

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक:एफ17/4(7)अअसा/2011/1527 दिनांक 01-03-2011 के अनुसरण में जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द द्वारा अप्रार्थी/गे०सा० के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है । गैरसायल/अप्रार्थी के विरुद्ध निम्नांकित संज्ञेय अपराधों की ईतल्ला रिपोर्ट पुलिस थाना राजनगर में दर्ज हुई है :-

प्र०सं०	जुर्मधारा	नतीजा पुलिस (चालानन)	नतीजा अदालत
375/16	13 आरपीजीओ एक्ट	चार्जशीट नं. 302/11.11.2016	सजा 21.11.2016
78/17	13 आरपीजीओ एक्ट	चार्जशीट नं. 59/27.03.2017	सजा 28.03.2017

गैरसायल को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया । गैर सायल मय अधिवक्ता उपस्थित । गैर सायल को दिनांक 24.09.2018 को नोटिस सुनाया गया । गैर सायल द्वारा 5,000/- रुपये के जमानत मुचलके पेश किये गये । गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा जबाब पेश कर सीधे ही बहस की गई ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि गैर सायल को 13 आरपीजीओ एक्ट के दो प्रकरणों में सजा हुई है। गैर सायल को 13 आरपीजीओ एक्ट के दोनों प्रकरणों में दोष सिद्ध किया जा चुका है, तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है । अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है । जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है । गैर सायल की आदतों से समाज को खतरा है। अतः गैर सायल को जिला बदर किया जावे ।



गेर सायल के अधिवक्ता का तर्क है कि गैर सायल/विपक्षी के विरुद्ध 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया गया है। दोनों प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया गया है। गैर सायल गरीब व्यक्ति होकर जैसे जैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गैर सायल गुण्डा नहीं है एक साधारण परिवार का गरीब व्यक्ति है। अतः गुण्डा एक्ट की कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाकर गैर सायल को माफ किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 13 आरपीजीओ एक्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति 02 प्रकरणों में दोष सिद्ध किया जा चुका हो, तो वह गुण्डा की परिभाषा में आता है। विपक्षी को 02 प्रकरणों में 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत दण्डित किया गया है। जिनकी नकल निर्णय पत्रावली में संलग्न है। अतः यह स्पष्ट है कि गैर सायल को न्यायालय द्वारा 13 आरपीजीओ एक्ट के प्रकरणों में दोष सिद्ध कर दण्डित किया गया है। पैरवी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रमाणों से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। गैर सायल के ऐसे कृत्य में अभ्यस्त होना निश्चित ही जन सामान्य में परेशानी एवं खतरे का सूचक है। गैर सायल को इन आरोपों के बचाव में साक्ष्य एवं प्रमाण पेश करने का समुचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु गैर सायल ने इसके खण्डन में ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किये हैं, जिससे कि पैरवी पक्ष के प्रस्तुत आरोपों एवं उसकी पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणों को न माना जा सके। गैर सायल के विरुद्ध प्रथमदृष्टया गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित आरोप प्रमाणित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर गैर सायल श्री बलवन्त पिता मांगीलाल यादव निवासी— यादव मौहल्ला राजनगर जिला राजसमन्द के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप पूर्णतया सिद्ध होने से इन्हें सात दिन के लिए जिला राजसमन्द की सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है कि वह बिना अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के सात दिन तक जिला राजसमन्द में प्रवेश नहीं करें। जिले से निष्कासन के दौरान गैर सायल प्रत्येक तीन दिवस को पुलिस स्टेशन फतहनगर जिला उदयपुर में अपनी उपस्थित दर्ज करायेगा। यह आदेश गैर सायल की पुलिस स्टेशन, फतहनगर में प्रथम उपस्थित तिथि से लागू होगा। गैर सायल की गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी को भेजी जावे।

(राकेश कुमार)

अति० जिला मजिस्ट्रेट

राजसमन्द

संशोधित निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

अति० जिला मजिस्ट्रेट

राजसमन्द

